

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 जुलाई 2026 — आषाढ़ 12, शक 1948

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENS-1103/2/2026-UAD.— छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम 3 में विनिर्दिष्ट नगर पंचायत बड़ीकरेली के लिये कॉलम 4 में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है, अर्थात् :-

सारणी

क.	जिला का नाम	नगर पंचायत का नाम	वार्डों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	धमतरी	बड़ीकरेली	15

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2026

क्रमांक GENS-1103/2/2026-UAD.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03-07-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भागवत जायसवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 3rd July 2026

NOTIFICATION

No. GENS-1103/2/2026-UAD.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of Chhattisgarh Municipalities Act 1961 (No. 37 of 1961) and in suppression of all previous notifications issued on the subject the State Government in respect of Nagar Panchayat Badikareli specified in column (3) of the schedule below, hereby determine the number of wards as specified in the column (4) of the said schedule, namely:-

SCHEDULE

S.No.	District	Name of Nagar Panchayat	No. of Wards
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dhamtari	Badikareli	15

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHAGWAT JAISWAL, Deputy Secretary.